न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 201/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती भंवरी पत्नी अशोक 2. बेबी पत्नि रामजस विश्नोई 3. हरूराम पुत्र भागीरथराम 4. लाछी पत्नी बलवन्ताराम 5. राणाराम पुत्र केवलराम जातियान विश्नोई, निवासी– बरजासर तहसील बाप जिला जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,आउ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक प्र.गां.स./2021/03 दिनांक 21.10.2021 जो उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.गां.स./2021/19 दिनांक 08.10.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने की दिनांक को श्री भैराराम पुत्र हफाराम निवासी–बरसिंगों का बास तहसील आउ की ओर से श्री मनोहरसिंह, अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.10.2021 को केविएट पेश पेश किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केविएट अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में इंगित किया कि अपीलान्ट भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें भी अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। अधिनस्थ कार्यवाही में जो राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया है जो कि रेस्पो0 केवियटकर्ता की

कृषि भूमि में से होकर गुजरता है ऐसे में वह भी प्रभावित व्यक्ति है। हमने दोनों अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन करने के उपरान्त एवं न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने की अनुमति देना उचित मानते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उनको एवं केविएटर अधिवक्ता की भी सुना गया।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। उपखंड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो व राज्य सरकार के परिपत्र का बिलकुल गलत अर्थ निकलता है। अपीलार्थी की भूमि खसरा न. 2036 में से कोई रास्ता कभी भी नहीं चलता था न कभी रास्ते की आवश्यकता थी न किसी व्यक्ति द्वारा कोई रास्ते की मांग की। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फेसला कर दिया क्योंकि उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में तैयार की गई मनमानी रिपोर्ट है जो केवल खसरा न. 2036 की भूमि को दो टुकडो में बांटने के उददेश्य से की गई अन्यथा न तो खसरा न. 2036 में मौके पर कोई रास्ता चलता है एवं न कोई रास्ते की आवश्यकता है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा न. 2036 एवं पडौसी खसरा न. 2035 की भूमियां पहले से ही रास्ते पर स्थित है जो रास्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस मामले में बहुत ही जल्दबाजी करते हुए फेसला किया है कोई विधिवत जांच नहीं कि गई एवं न उनकी कोई सहमती ली गई।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वयं में रास्ता खुलवाने एवं नया रास्ता उपलब्ध करवाने के विशेष प्रावधान है। इन प्रावधानो के विपरीत जाकर प्रशासनिक स्तर पर जारी परिपत्रों की आड में खातेदार के अधिकारो को समाप्त नहीं किया जा सकता इस प्रकार अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश अनाधिकारपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे।

5. प्रत्युतर में केविएट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उससे प्रार्थीगण/

रेस्पोडेन्टस प्रभावित व पीडित पक्ष है तथा जिन खसरो बाबत रास्ते का आदेश पारित किया गया है उसमें खातेदार है। जिस कारण से उनके द्वारा केविएट पेश किया गया एवं किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सुने जाने हेतु निवेदन किया है। ग्राम पाबूनगर तहसील आउ के ख0सं0 2036 रकबा 7.385 हैक्टर भूमि में प्रशासन गांवों के संग अभियान में कदिमी से चालू रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता घोषित किया है जो कि रेस्पो0 केविएटकर्ता की एवं अपीलान्ट की कृषि भूमि में से होकर गुजरता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौके की रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा में दुरूस्ती व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है जो उचित है अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ख0सं0 2036 रकबा 7.385 हैक्टर भूमि में प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त में से 0.1617 हैक्टर भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है।

7. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी

प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर